भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

**लोक सभा**
अतारांकित प्रश्न संख्या 2596
19 दिसंबर,को उत्तर के लिए 2023

**सागर परिक्रमा यात्रा कार्यक्रम**

**2596. श्रीमती हिमाद्री सिंह:**
**श्री खगेन मुर्मुः**

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सागर परिक्रमा यात्रा कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है;

(ख) यह मछुआरा समुदाय के साथ किस प्रकार से सीधा संवाद माध्यम स्थापित करने का प्रयास करता है; और

(ग) इस संबंध में बजटीय प्रावधानों का ब्यौरा क्या है और इस पहल के क्या परिणाम निकले हैं?

**उत्तर**

**मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री**

**(श्री परशोत्तम रूपाला)**

(क) मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार ने 75वें आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर 'सागर परिक्रमा' कार्यक्रम शुरू किया है । सागर परिक्रमा यात्रा पूर्व-निर्धारित समुद्री मार्ग पर चरणबद्ध तरीके से सभी तटीय राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करने के लिए आयोजित किया जा रहा है । इसकी शुरुआत 5 मार्च, 2022 को मांडवी, गुजरात से हुई और अब तक 10 तटीय राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से होते हुए 6000 किमी से अधिक की तटीय लंबाई को कवर करते हुए 88 से अधिक स्थानों का दौरा पूरा किया जा चुका है। 'सागर परिक्रमा' का उद्देश्य (i) मछुआरों, तटीय समुदायों और हितधारकों के साथ बातचीत करना है ताकि सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न मात्स्यिकी योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी का प्रसार किया जा सके, (ii) आत्मनिर्भर भारत की भावना के अनुरूप सभी मछुआरों, मत्स्य किसानों और संबन्धित हितधारकों के साथ एकजुटता प्रदर्शित करना (iii) समुद्री मत्स्य संसाधनों को राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा और तटीय मछुआरे समुदायों की आजीविका के लिए उपयोग के बीच स्थायी संतुलन पर ध्यान देते हुए जिम्मेदार मात्स्यिकी को बढ़ावा देना, और (iv) समुद्री पारिस्थितिक तंत्र की सुरक्षा ।

(ख) सागर परिक्रमा एक आउटरीच कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य देश के संपूर्ण तटीय क्षेत्र के मछुआरा समुदायों तक पहुंचना है। सागर परिक्रमा यात्रा कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री के साथ-साथ मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री, संबंधित तटीय राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मात्स्यिकी मंत्री और केंद्र और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी तटीय क्षेत्रों का दौरा करते हैं और मछुआरों और तटीय समुदायों के साथ सीधे संवाद करते हैं। 'सागर परिक्रमा' के दौरान आयोजित संवाद कार्यक्रमों का उद्देश्य मछुआरों और अन्य हितधारकों के मुद्दों को हल करना है और भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न मात्स्यिकी योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से उनके आर्थिक उत्थान को सुविधाजनक बनाना है जैसे *'प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना'* (पीएमएमएसवाई), 20,050 करोड़ रुपये के अब तक के उच्चतम अनुमानित निवेश वाली मात्स्यिकी क्षेत्र की एक प्रमुख योजना, पात्र संस्थाओं को रियायती वित्त प्रदान करने के लिए 7,522.48 करोड़ रुपये के साथ *'मात्स्यिकी एवं जल कृषि अवसंरचना विकास निधि'* (एफआईडीएफ) और किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) की सुविधा जिसका विस्तार मछुआरों और मत्स्य किसानों तक किया गया है। मात्स्यिकी क्षेत्र की योजनाओं और कार्यक्रमों के अलावा, 'सागर परिक्रमा' कार्यक्रम भारत सरकार की विभिन्न अन्य योजनाओं और कार्यक्रमों पर जागरूकता पैदा करने की परिकल्पना करता है।

(ग) 'सागर परिक्रमा' का बजटीय प्रावधान 8.00 करोड़ रु/- है। उल्लेखनीय है कि सागर परिक्रमा की पहल ने प्रत्यक्ष बातचीत और 7 स्थानीय भाषाओं में इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के माध्यम से तटीय राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों की व्यापक पहुंच हासिल की है। इसने मछुआरों और मत्स्य किसानों को केसीसी कार्ड प्राप्त करने और पीएमएमएसवाई और अन्य योजनाओं के तहत लाभार्थी उन्मुख घटकों और गतिविधियों के संबंध में जागरूकता प्रदान की है। इस पहल ने हमारे देश के मात्स्यिकी पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करते हुए, टिकाऊ (सस्टेनेबल) प्रथाओं, तकनीकी नवाचारों और समावेशी विकास पर जोर देते हुए, जमीनी स्तर की चुनौतियों को समझने और संबोधित करने के लिए अधिकारियों को विभिन्न दूरदराज के तटीय क्षेत्रों का दौरा करने की सुविधा प्रदान की है। आउटरीच में जन प्रतिनिधियों, राज्य के मात्स्यिकी मंत्रियों, सांसदों, विधायकों, स्थानीय नेताओं और अन्य गणमान्य व्यक्तियों को भी शामिल किया गया है, जिससे जमीनी स्तर पर मछुआरों की तटीय चुनौतियों को समझा जा सके, मछुआरे समुदाय के मुद्दों को सुना जा सके और संभावित समाधानों के लिए सुझाव दिए जा सके। इस कार्यक्रम में मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार, राज्य मत्स्यपालन विभाग, भारतीय तटरक्षक बल, स्टेट मैरीटाईम बोर्ड, जिला प्रशासन और अन्य प्रमुख हितधारक जैसे मछुआरे, मछुआरिनें, मत्स्य श्रमिक, मत्स्य किसान और मत्स्य उद्यमी आदि एक साथ जुड़े।

***